

प्रेषक,

विजय कुमार यादव,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

✓ सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

आपका प्रमुख
वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून
पंजी 0 सं० 3143
पत्रावली 167
दिनांक 21/12/21

वन अनुभाग-03

देहरादून: दिनांक: 16 दिसम्बर, 2021

विषय: जनपद-देहरादून के विकासखण्ड त्यूनी के अन्तर्गत फेडान रायगी पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.059 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल संशाधन विकास एवं निर्माण निगम को 15 वर्षों की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1319/FP/UK/WATER/41586/2019, दिनांक 06 दिसम्बर, 2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन अनुभाग-03, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के आदेश संख्या-1214/X-3-20/2(32)2020, दिनांक 12-10-2021 द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पूर्ण अनुपालन होने के दृष्टिगत श्री राज्यपाल महोदय जनपद देहरादून के विकासखण्ड त्यूनी के अन्तर्गत फेडान रायगी पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.059 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल संशाधन विकास एवं निर्माण निगम को 15 वर्षों की लीज पर दिये जाने की विधिवत् स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
3. निर्माण कार्य शुरू करने से पहले वन विभाग के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जायेगी।
4. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित परियोजना के दोनो ओर रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक उसका रखरखाव किया जायेगा।
5. प्रयोक्ता एजेन्सी के अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति पहुँचाता है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रयोक्ता एजेन्सी पर बाध्यकारी होगा, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा देय होगा।
6. उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि प्रयोक्ता एजेन्सी को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रयोक्ता एजेन्सी को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा ऐसा भाग, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगा।

सो.आ.पु.म.देहरादून

उ.ग.का.र.

21/12/21

7. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त भूमि पर निर्माण कार्य शुरू करने से पहले वन विभाग के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जायेगी।
8. उप खनिजों (रेत, बजरी, बोल्टर) के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
9. वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, हस्तान्तरित किये गये भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
10. मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा यदि भविष्य में एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में वृद्धि की जाती है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण, मलवा निस्तारण हेतु बड़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय किया जायेगा व देय धनराशि को (ad-hoc CAMPA) कोष को स्थानान्तरित किया जायेगा।
11. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जनपद कार्य बल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
12. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित योजना का निर्माण एवं तदोपरान्त रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।
13. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना निर्माण में कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
14. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
15. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वन भूमि से परियोजना निर्माण के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।
16. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।
17. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार दिये गये वृक्षों की संख्या से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।
18. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्तों एवं अन्य सामान्य शर्तों को सम्मिलित करते हुए एक पट्टा विलेख का आलेख्य प्रस्तुत किया जायेगा, जिसे शासकीय हस्तान्तरक से विधीक्षित करवाया जायेगा। ऐसे पट्टा विलेख के विधीक्षण हेतु न्याय (कन्वेयसिंग) कोष्टक के शासनादेश संख्या 198/7-जी-सी-89-3-89, दिनांक 19.06.1989 के अनुसार निर्धारित विधीक्षण शुल्क विलेख विधीक्षण से पूर्व लेखाशीर्षक-0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-01-न्याय प्रशासन-501-सेवाएँ और सेवा फीस-01-की गयी सेवाओं के लिए भुगतान की उगाही के अन्तर्गत ट्रेजरी में जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति पट्टा विलेख के आलेख्य के साथ उपलब्ध करायी जायेगी। उपरोक्तानुसार प्रस्तुत

पट्टा विलेख शासन द्वारा विधीक्षित किये जाने के उपरान्त ही निष्पादित किया जायेगा।

19. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत जारी हैन्ड बुक के Annexure-V में दिये गये मार्गदर्शी नियमों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।
20. प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक सामुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।
21. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

भवदीय,

**Signed by Vijay Kumar
Yadav**

Date: 15-12-2021 17:34:02

(विजय कुमार यादव)
सचिव।

संख्या: 1749 (1)/X-3-21/2(32)/2020, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड़, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन।
4. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, देहरादून।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता।
7. अध्यक्ष जिला पंचायत, देहरादून।
8. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, पेयजल निगम, विकासनगर, डाकपत्थर रोड़, नियर पुल नं०-01।
9. गार्ड फाईल।

(विजय कुमार यादव)
सचिव।